न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 33 / 2007

उनवान

मैसर्स फैरो कांकरीट कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड अजमेर जरिये प्रबधक श्री महेश अग्रवाल निवासी फैरो कांकरीट कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड सेदरिया तहसील व जिला अजमेर

अपीलान्ट .....

बनाम

1. श्री लालसिह पुत्र श्री लाडू जाति चीता निवासी ग्राम सेदरिया तहसील व जिला अजमेर
2. ग्राम पंचायत सेदरिया जरिये सरपंच तहसील व जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

रेस्पोडेंटस

.....प्रो. रेस्पों0.....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण सं0135 दिनांक 10.11.99 जो ग्राम सेदरिया द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थित श्री पुष्पेन्द्र सिह नरूका अभिभाषक अपीलान्ट

श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

आदेश

दिनांक :– 14.10.2019

Scanned by CamScanner

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सेदरिया की खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 90 मीन रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म बरडा के रिकोर्डेड खातेदार मिश्री, नूरा, करीमा, जोरा पिसरान कज्जा व श्रीमति जूरी बैवा लाडू जाति चीता साकिन देह की आराजी थी। जिसमें से श्रीमति जूरी बैवा लाडू ने दिनांक 28.05.1991 को वहामी बंटवारा नुसार अपने हक व हिस्से की 1/5 भूमि का विकय जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र मुवलिग रूपये 67500 में अपीलान्ट फैरो ककरीट कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड अजमेर को कर दिया था एवं अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि के साथ अन्य खसरा नम्बर की भूमि खरीदकर बीसलपुर अजमेर पाईप लाईन हेतु पाईपो का निर्माण करने हेतु फैक्ट्री लगाकर पाईप निर्माण का कार्य किया था एवं मौके पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त आधिपत्य है। परन्तु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नही होने से पूर्व विकेता जूरी बैवा लाडू के फोत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जाल साझी पूर्वक सरपंच एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पूर्व में बैचान की गई भूमि की जानकारी होते हुए विरासत का नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 10.11.99 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया । जिसकी सर्वप्रथम अपीलान्ट को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या ने वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया एवं तत्पश्चात बैचान का नामान्तकरण संख्या 287 दिनांक 5.9.06 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया उक्त नामान्तकरण संख्या 287 की जानकारी दिनांक 25.9.06 होने पर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 26.9.06 को प्रात की तब सर्वप्रथम नामान्तकरण संख्या 135 की अपीलान्ट को जानकारी हुई। तब अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 135 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.9.06 को प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 4.10.06 को नामान्तकरण संख्या 135 की नकल प्राप्त हुई एवं नकल प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्ट ने अपना वकील नियुक्त कर एवं वकील से सलाह कर यह अपील जानकारी से माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत है । आदेश विद्वान ग्राम पंचायत दिनांक 10.11.99 न्याय नियम एवं विधि के विपरित होने से निरस्तनीय है। रेस्पोर्डन्ट संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि का विकय मैसर्स फैरा काकंरीट कन्टस्रक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड अजमेर को होने की जानकारी पूर्व में थी । फिर भी रेस्पोडेन्ट ने जालसाझी एवं मिलीभगत कर विरासत का नाम अपने नाम तस्दीक करवाया जो रेस्पोडेन्अ संख्या 2 की बदनियमती पूर्वक होने से नामान्तकरण संख्या 135 काबिल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत सेदरिया ने नामान्तकरण संख्या 135 स्वीकार करने से पूर्व बिना अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जो आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत सेदरिया ने नामान्तकरण तस्दीक करने की पूर्व कोरम में कोई प्रस्ताव नही लिया बिना प्रस्ताव के नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो विधि के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत सेदरिया के सरपंच ने जूरी बैवा लाडू का सजरा स्वयं

Scanned by CamScanner

प्रमाणित किया है । जबकि सजरे के बारे में पंचायत द्वारा जांच की जानी चाहिए थी। तत्पश्चात जांच के आधार पर सजरा जारी किया जाना चाहिए था। सजरे को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि मु. जूरी बेवा लाडू फोत दर्शाया है एवं लाल सिह भी फोत दर्शाया है जो अपने आप में सदिग्ध एवं हास्त प्रद स्थिति है एवं तत्पश्चात लाल सिह को फोत दर्शाने के बाद लाल सिह के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गय है। जो ग्राम पंचायत की अस्पष्ट कार्यशेली को दर्शाता है। अतः नामान्तकरण संख्या 135 काबिल निरस्तनीय है। नामान्तकरण संख्या 135 के कॉलक संख्या 16 में किया गया अंकन में पटवारी के हस्ताक्षर नही है। जिससे यह साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत कर पूर्व में विकित भूमि का नामान्तकरण करवाया है जो विधि विपरित होने से काविल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने यह नही देखने में कानूनी भूल की है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 90 मीन वाके मौजा सेदरिया अपीलान्ट ने जूरी बैवा लाडू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.5.91 को खरीद कर विसलपुर पाईप लाईन हेतु पाईप निर्माण का कार्य आरम्भ किया था एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा एवं आधिपत्य अपीलान्ट का है। फिर भी इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जो नामान्तकरण तस्दीक किया है जो विधि विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत सेदरिया ने यह नही देखने में कानूनी भूमि की है कि वादग्रस्त भूमि में से बाहमी बंटवारे अनुसार 1/5 हिस्सा जूरी बैवा लाडू ने अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था । फिर भी बिना कब्जे की जांच किये जो ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण स्वीकृत किया है वह विधिक सिद्वान्तो के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर सहखातेदारो के भी हस्ताक्षर मौजूद है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी वादग्रस्त भूमि के विक्रय बाबत जानकारी थी। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर पूर्व में विकित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाया है। अतः अपील ओललान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 10.11.99 ग्राम सेदरिया को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करावे। अन्य सुविधा माननीय न्यायालय अपीलान्ट के हक में आवश्यक एवं उचित समझे प्रदान करावे । वकिल अपीलान्ट ने अपने समर्थन में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के प्रकरण सख्या 38/2018 प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की ।

रेस्पोडेन्ट एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 90 मिन रकबा 14–02–00 के पांच खातेदार थे मिश्री, नूरा, करीमा, जोरा पिसरान कज्जा व श्रीमति जूरी बेवा लाडू जिसमें से लाडू का स्वर्गवास हो चुका जिसके दो वारिस हुए लालसिह व जूरी को सम्पूर्ण भूमि अकेले बेचने का कोई हक अधिकार नही था इसी कारण तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के

Scanned by CamScanner

राम राजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तगण गलत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नही किया गया ना ही अपीलार्थी का मौके पर कब्जा है। लालसिह द्वारा विरासत में प्राप्त हुई 1/5 हिस्से की पंजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 1.9.2006 को ताज मोहम्मद एवं बजेश जैन को विक्रय कर कब्जा दे दिया गया । मौके पर केतागण द्वारा चार दिवारी बनाकर कोटडी निर्मित कर रखी है। वर्किग जमाबंदी केतागण बृजेश व ताज मोहम्मद खातेदार काश्तकार दर्ज है ताज मोहम्मद द्वारा न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 119/2012 अपीलान्ट के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा ताज माहेहम्मद की खातेदारी व कब्जा मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 09.01.2018 को जारी की गई यह भी कथन किया कि नामान्तकरण एक सरसरी प्रकिया है जिसमें किसी के हक अधिकार तय नही हो सकते है अपीलान्ट द्वारा बृजेश जैन व ताज मोहम्मद के पक्ष में हुए पंजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 1.9.2006 किसी भी न्यायालय में चुनौति नही दी गई है एवं नामान्तकरण प्रोसेडिग में किसी भी खातेदार की खातेदारी निरस्त नही की जा सकती एवं अपील भी अपीलाथी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । वकिल रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में आरआरटी 2019 (2) पेज 1301 प्रस्तुत किये ।

रेस्पोडेन्ड 3 के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नही आये ।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। धारा 5 में अपीलार्थी का कथन है विवादित नामान्तकरण की जानकारी वर्ष 2006 को हुई उससे पूर्व कोई जानकारी नही थी रेस्पो. द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की है कि उक्त तिथी से पूर्व अपीलार्थी को विवादित नामान्तकरण की जानकारी रही हो ना जानकारी का समय न्यायहित में समयावधि है अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष की बहस सुनी गई। खसरा नम्बर 90 मिन रकबा 14–02–00 ग्राम सेदरिया तहसील अजमेर की भूमि के खातेदार वर्किग जमाबंदी के खाता नम्बर 24 में 1/5 हिस्सा लालसिह वल्द लाडू के नाम दर्ज है लालसिह द्वारा जरिये पजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 1.9.2006 बृजेश व ताजमोहम्मद को विक्रय कर दिया गया इस विक्रय पत्र को अपीलार्थी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है स्वयं के विक्रय पत्र दिनांक 28.5.1991 के अनुसार न तो अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ ना ही खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा पूर्व वाद जो ताजमोहम्मद द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व राजस्व वाद संख्या 119/2012 प्रस्तुत हुआ जिसमें ताज मोहम्मद का वाद दिनांक 9.1.2018 को स्वीकार कर अपीलार्थी के

Scanned by CamScanner

द्ध ताज मोहम्मद व बृजेश की अपीलाधीन भूमि की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की, हालाकि अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री को चुनौति दे रखी है जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा निर्णय व डिक्री निरस्त नही की गई है। वकील रेस्पोडेन्ड के इस तर्क से हम सहमत है कि नामान्तकरण एक फिकसल प्रोसेडिग है जिसे किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार तय नही किए जा सकते है समरी प्रोसेडिग में वर्तमान खातेदार के खातेदारी हक, अधिकार नामान्तकरण के आदेश के माध्यम से समाप्त नही किए जा सकते है । इस कारण जिस सबंध में रेस्पोडेन्ड अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्तों से भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

अतः परिणामातः उपरोक्त विवेचचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के सबंध में चाराजोही हेतु स्वत्रंत है।

आदेश आज दिनांक 15.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.20 13:36:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: